(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2022
अनवान विकास बिश्नोई बनाम स्टेट)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 51/2022

विकास बिश्नोई पुत्र राजाराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तह० व जिला श्री गंगानगर, वर्तमान निवासी 30 कैनाल पार्क नजदीक सुभाष मार्केट पुरानी आबादी थाना के पास, श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.01.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 1 डी छोटी पटवार हल्का साधुवाली तह० श्री गंगानगर के खाता सं0 137/13 मु0 न0 19 के किला न0 16/2, 17/2, 18/4, 18/5 की कुल 0.632 है० तथा चक हाजा के खाता सं0 142/72 मु० न० 41 के किला न0 6 ता 9, 10/1, 10/2 की 1.265 है० खातेदारी दर्ज है दोनों खातों की जमाबंदी की नकलें शामिल है। प्रार्थी द्वारा अपने रकबा चक 1 डी छोटी के मु० न० 19 के किला न0 18 में टयूबवेल लगा रखा है, प्रार्थी का उपरोक्त रकबा गंगकैनाल के पानी से सिंचित होता है मगर गंगकैनाल में पानी की कमी रहने के कारण व भूमि सुधार के लिए प्रार्थी ने उपरोक्त टयूबवेल लगाया हुआ है, मु0 न0 19 के साथ मु० न० 40 लगता है व मु० न० 40 के साथ मु0 न0 41 लगता है, आंशिक नक्शा शामिल है। प्रार्थी को अपने रकबा मु० न0 19 के किला न0 18 में लगे टयूबवेल का पानी मु० न० 41 में लगाना पडता है जिसके लिए प्रार्थी ने मु० न0 19 के किला न0 18,17,16 में अपने स्वयं के रकबा में अण्डरग्राउण्ड पाईप डाल रखी है जो कि मु0 न0 19 के किला न0 25 की पूर्वी उतरी कोने तक प्रार्थी के रकबा में आ रही है, मु0 न0 19 व 40 प्रत्येक के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता चल रहा है तथा मु० न0 41 के किला न० 1,10,11,20, 21 जो मु० न० 40 के किला न० 5,6,15,16,25 में स्थित रास्ता के साथ चिपते हुए है में खाला स्वीकृत है, शामिल हाजा नक्शा में रास्ता को पीले रंग से दर्शाया हुआ है तथा खाला को गुलाबी रंग से दर्शाया हुआ है। प्रार्थी अपने उपरोक्त टयूबवेल का पानी मु० न0 19 के किला न0 25 की पूर्वी उतरी कूंट तक अपने रकबा में अण्डरग्राउण्ड पाईप डाल रखा है तथा आगे मु0 न0 19 के किला न0 25 की पूर्वी दिशा में सडक के नीचे व मु0 न0 40 के किला न0 5 की पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण व मु० न० 40 के किला न0 6 में किला न0 5 के साथ लगते रकबा में पश्चिम से पूर्व को व मु० न० 41 के किला न0 10 की उतरी

Scanned with CamScanner

दिशा में खाला के नीचे 5 फीट गहराई में टयूबवेल का पानी मु० न0 41 में लगाने के लिए अण्डरग्राउण्ड पाईप जो प्रार्थी अपने खर्चा पर डालेगा के लिए स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इस पाईप लाईन को रास्ता व खाला की भूमि में अण्डरग्राउण्ड डाला जाना है अतः कोई काश्तकार प्रभावित नहीं होता, ना ही किसी काश्तकार की भूमि में से अण्डरग्राउण्ड पाईप जाना है, अतः इस अण्डरग्राउण्ड पाईप की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जिसको शामिल हाजा नक्शा में लाल रंग से दर्शाया हुआ है। प्रार्थना पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है उचित न्यायशुल्क पर पेश है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि शामिल हाजा नक्शा में लाल रंग से जो अण्डरग्राउण्ड पाईप को दर्शाया गया है की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 डी छोटी के मुरबा नम्बर 19 के किला न0 25 की पूर्वी दिशा में सडक के नीचे व मुरबा नम्बर 40 के किला न0 5 की पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण व मुरबा नम्बर 40 के किला न0 6 में किला न0 5 के साथ लगते रकबा में पश्चिम से पूर्व को व मुरबा नम्बर 41 के किला न0 10 की उतरी दिशा में खाला के नीचे 5 फीट गहराई में टयूबवेल का पानी मु० न0 41 में लगाने के लिए अण्डरग्राउण्ड पाईप लाईन डालने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

1. प्रार्थी 8.25 फुट चौड़ाई की भूमि जहां तक पाइन लाइन बिछाई जानी है, की नपाई कर कुल क्षेत्रफल का डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत तहसील श्रीगंगानगर में जमा करावे।
2. प्रार्थी के द्वारा सड़क के नीचे से पाईप लाईन डाली जाती है तो पाईप लाईन डाले जाने से पूर्व संबंधित विभाग (जिसने सड़क का निर्माण करवाया हो) का अनापति प्रमाण पत्र लेना होगा एवम् सडक की टूट फूट व मरम्मत का खर्च पहले प्रार्थी सम्बन्धित विभाग में जरिए डी.डी. जमा करवाने के पश्चात् सडक के अंदर पाइप लाइन डालने का कार्य करेगा।
3. पाईप लाईन भूमि में 5 फीट गहराई में दबाई जावेगी।
4. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान सडक में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान सडक में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर सडक की मरम्मत की जावेगी।
5. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़ने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपने खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner